आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No.-16/2016-17

साहेबलाल टुडू एवं अन्य **बनाम** नारायण चन्द्र मंडल

04/11/25

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक-30.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

उक्त R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक-30.07.2016 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-मेझिया के खाता सं0-111 अंतर्गत दाग सं0-3545 कुल रकवा-62 डी0 बाड़ी जमीन पर विपक्षी नारायण मंडल का दखल कब्जा अवैध होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के अंतर्गत उच्छेद किया गया है, पुनः मौजा-मेझिया के खाता संख्या-156 में सन्निहित दाग संख्या-3546 रकवा-65 डी0 बाड़ी, दाग सं0-3547 रकवा-05 डी0, वास्तुवाड़ी दाग सं0-3549 रकवा-08 डी0, धानी-III कुल-78 डी0 जमीन पर से विपक्षी, नारायण मंडल को उच्छेद करने संबंधी आवेदक साहेबलाल टुडू एवं अन्य द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया गया है।

अपीलकर्त्ता साहेबलाल टुडू एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मेझिया के अनुसूचित जनजाति जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे सेटेलमेन्ट खतियान के अनुसार मौजा-मेझिया के खाता सं0-156 के दाग सं0-3546, किस्म-बाड़ी रकवा-65 डी0, दाग स0-3547 किस्म-वास्तुबाड़ी, रकवा-05 डी0, दाग सं0-3549, किस्म-धानी-III रकवा-08 डी0 एवं मौजा-मेझिया के खाता सं0-111, दाग सं0-3545, किस्म-बाड़ी रकवा-62 डी0 के अभिलेखित खतियानी रैयत सुन्दर टुडू एवं झालदु टुडू है। उपरोक्त सभी जमीन अहस्तांतरणीय कृषि योग्य भूमि है। अपीलकर्त्तागण खतियानी रैयत के वैधानिक उत्तराधिकारी है। जबकि उत्तरवादी स्थानीय महाजन है। अपीलकर्त्तागण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी को व्यवहार न्यायालय द्वारा Title suit से प्राप्त है एवं जमीन का नामांतरण हो चुका है, जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रतिकूल है अपीलकर्त्तागण मौजा-मेझिया के खाता सं0-156 के दाग सं0-3546, किस्म-बाड़ी रकवा-65 डी0, दाग स0-3547 किस्म-वास्तुबाड़ी, रकवा-05 डी0, दाग सं0-3549, किस्म-धानी-III रकवा-08 डी0 एवं मौजा-मेझिया के खाता सं0-111, दाग सं0-3545, किस्म-बाड़ी रकवा-62 डी0 के अभिलेखित खतियानी रैयत सुन्दर टुडू एवं झालदु टुडू के जमीन से विपक्षी नारायण मंडल को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं धारा 42 के तहत उच्छेद करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा में R.E. Case No.-08/2011-12 के रूप में वाद दायर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा अपीलकर्त्तागण के अनुसूचित जनजाति एवं उपरोक्त जमीन के प्रकृति कृषि योग्य अहस्तांतरणीय भूमि रहने के बावजूद भी नियमानुसार विचार नहीं किया गया एवं उच्छेद करने हेतु आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा B.B.C.J 1975 Page 433 (Ram Narayan Sah Vrs State) का उद्धरण देते हुए कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा fraudulent method का प्रयोग करते हुए Collusive compromise decree दिया गया, जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के उपधारा 5 के अंतर्गत गैर वैधानिक है। अपीलकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक-30.07.2016 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी नारायण चन्द्र मंडल के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मेझिया के जमाबन्दी रैयत है। अपीलकर्त्ता साहेबलाल के पिता-खेला टुडू के द्वारा उपसमाहर्त्ता का न्यायालय जामताड़ा में Title suit No.-14/1969 दायर किया गया जिसका प्रतिपक्ष नारायण चन्द्र मंडल के पिता किस्टो उर्फ किस्टोपद मंडल थे एवं किस्टो उर्फ किस्टोपद मंडल को मौजा-मेझिया के खाता सं0-156 के दाग सं0-3546, 3547 एवं 3549 के भूमि का डिक्री 16 सितम्बर 1969 को प्राप्त हुआ। उक्त डिक्री के बाद उत्तरवादी नारायण मंडल द्वारा Mutation Case No-236/1969-

70 में दिनांक–19.01.1969 को नामांतरण प्राप्त हुआ। उक्त Title suit No.-14/1969 में डिक्री होने के करीब 42 वर्ष बाद अपीलकर्त्तागण द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में R.E. Case No.-08/2011-12 दायर किया गया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा A.I.R 1984 Patna at page 65 का उद्धरन प्रस्तुत करते हुए Law of Res-Judicata जो कि सिविल, क्रिमनल रेभेन्यू एवं रिट में उपयोग होता है के अनुसार व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत दिया गया डिक्री का चुनौती राजस्व न्यायालय में नहीं किया जा सकता। अपीलकर्त्ता के पिता के द्वारा उक्त Title suit No.-14/1969 में दिनांक–16.09.1969 एवं R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील/रिविजन दायर नहीं किया गया है। प्रश्नगत जमीन का लगान नारायण चन्द्र मंडल द्वारा दिया जाता है। मौजा–मेझिया के खाता सं0–111, दाग सं0–3545 पर अपीलकर्त्ता का कोई दावा नहीं किया गया। तदनुसार अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश नियमानुकूल है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश में अंकित है कि "खाता संख्या 156 में सन्निहित दाग सं0–3546, रकवा–65 डी0, बाड़ी दाग सं0–3547, रकवा–05 डी0, वास्तुबाड़ी दाग सं0–3549, रकवा–08 डी0, धानी–III कुल–78 डी0 जमीन विपक्षी के पिता को खतियानी रैयत द्वारा वर्ष 1934–35 में ही दिया गया है, जिसका सिविल कोर्ट, जामताड़ा के उपसमाहर्त्ता न्यायालय, जामताड़ा के टी0एस0 वाद सं0–14/1969 में पारित आदेश में विपक्षी के प्रश्नगत भूमि पर हक एवं दावे को वैध माना गया है। साथ ही उक्त जमीन का नामांतरण अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के पिता श्री किस्टो मंडल के नाम से स्वीकृत करते हुए जमाबंदी कायम किया गया। विपक्षीगण उक्त जमीन का राजस्व लगान भी नियमित रूप से भुगतान कर रहें है। सिविल कोर्ट के उपसमाहर्त्ता जामताड़ा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विचार करने हेतु यह सक्षम प्राधिकार न्यायालय नहीं है।" इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश न्यायसंगत है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-08/2011-12 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.11.14 10:35:00 +05:30
Location: 192.168.1.106